भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

हौज खास, नई दिल्ली – 110016. वेबसाइट : www.iitd.ac.in

विज्ञापन संख्या E.-II /14 /2025 (प्रतिनियुक्ति) दिनांक 07 अगस्त, 2025

प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पद के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

क्रम सं.	पदनाम#	संवर्ग (काडर)	ग्रुप	रिक्तियों की संख्या	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स	आयु सीमा
01	उप कुलसचिव	प्रशासन	A	04*	लेवल 12	56 वर्ष

* संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों में बदलाव कर सकता हैं।

इस पद पर समावेशन का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति अवधि की शुरुआत की तिथि से **दो (02) वर्ष** होगी। जिसे कार्य-निष्पादन की समीक्षा के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष अधिकतम **पाँच (05) वर्ष** की अवधि तक या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिवर्षिता की आयु तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा। हालाँकि, प्रतिनियुक्ति की अवधि आईआईटी दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक/विस्तारित अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

निर्धारित न्यूनतम योग्यता/अनुभव:

01. उप कुलसचिव

केंद्र/राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों/उनके विश्वविद्यालयों या संस्थानों/स्वायत्त निकायों/सरकारी प्रयोगशालाओं/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें पदों के लिए विशिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करना होगा:

क) नियमित आधार पर समान पद धारण करने हो।

अथवा

ख) तत्काल निचले ग्रेड या समकक्ष में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

सामान्य अनुदेश

1. **उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए Mozilla Firefox का उपयोग करे।** इस पद के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को विज्ञापन में दी गई न्यूनतम योग्यता, आयु एवं पात्रता, अनुभव मानदंड आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। चूँकि सभी आवेदनों की जाँच उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए डेटा के आधार पर की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार को उस पद के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। यदि भर्ती और चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना को झूठा या गलत पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

2. एक बार आवेदन जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसमें तबदीली/पुनः प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में प्रत्याशी द्वारा भरे गए किसी भी डाटा/विवरण में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी डाटा/विवरण पहले से ही तैयार रखें।

3. 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग में वर्णित मैट्रिक्स के अतिरिक्त वेतन मैट्रिक्स के अनुरूप भा.प्रौ.सं. दिल्ली नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सामान्य भत्ते दिए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2010 के पत्र संख्या 6/8/2009- स्था.(वेतन II) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार संचालित होगी तथा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के आलोक में समय समय पर संशोधित की जाएगी।

4. अंतिम ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट, आपके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी (विधिवत स्व-सत्यापित) और अनुलग्नक-1 के अनुसार नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन के साथ, **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर** उचित माध्यम से भर्ती प्रकोष्ठ, आई.आई.टी. दिल्ली को भेजना होगा।

5. (क) अभ्यर्थियों ऑनलाइन आवेदन केवल **दिनांक 07.08.2025 से 22.09.2025 तक सायं 05:00 बजे तक** कर सकते है। दोनों तिथियां शामिल हैं।

   (ख) ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट पर जाए।
   सीधा लिंक: - https://ecampus.iitd.ac.in/IITDSR-0/login
   वैकल्पिक रूप से: - http://www.iitd.ac.in/jobs-iitd/index.php

   (ग) आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर उचित माध्यम से **भर्ती प्रकोष्ठ, कमरा संख्या 207/सी-7, उप निदेशक (संचालन) कार्यालय के निकट, आईआईटी दिल्ली, हौज़-खास, नई दिल्ली- 110016** को भेजे। उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से लिफाफे के शीर्ष पर "प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-कुलसचिव के पद हेतु आवेदन" लिखना होगा।

   (घ) अपूर्ण आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. अवसर और आपातकाल जैसी भी स्थिति हो किसी भी विज्ञापित पद को भरने अथवा ना भरने का अधिकार भी आई.आई.टी. दिल्ली सुरक्षित रखता है।

7. चयन प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद/अस्पष्टता/भ्रम के मामले में निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली का निर्णय अन्तिम होगा।

8. चयनित प्रत्याशी भा.प्रौ.सं. दिल्ली के किसी भी परिसर में सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. इस पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

10. प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में अपना सही और सक्रिय ईमेल पता लिखें, क्योंकि सभी पत्राचार जैसे प्रवेश पत्र जारी करने या कोई अन्य जानकारी केवल ई-मेल के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।

11. चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए शॉर्टलिस्ट प्रत्याशियों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा तथा प्रत्याशियों को परिवहन/आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12. चयन/भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी कानूनी विवाद दिल्ली के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों के अधीन होगा।

13. अधिकारियों को विशुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण पर तैनात किया जाएगा तथा आमेलन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए और नॉन -शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची (केवल पंजीकरण संख्या और शॉर्टलिस्ट न किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए) संस्थान की वेबसाइट ***https://home.iitd.ac.in/jobs-iitd/index.php*** पर प्रदर्शित की जाएगी। आवेदकों को अपनी शॉर्टलिस्टिंग/नॉन-शॉर्टलिस्टिंग के लिए इस वेबसाइट पर निरंतर नजर रखनी होगी। शॉर्टलिस्टिंग के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन हो तो, ऐसी सूचियों के प्रकाशन की तिथि से 05 (पाँच) दिनों के भीतर ई मेल **recruitmentcell@admin.iitd.ac.in** पर संस्थान को अवश्य भेजना चाहिए।

15. पात्रता/अनुभव/आयु की गणना दिनांक 22.09.2025 से होगी।

16. पात्रता, आवेदन पत्र की स्थिति, डाक में देरी, साक्षात्कार के संचालन एवं परिणाम, चयन प्रक्रिया आदि के संबंध में प्रत्याशी के किसी पत्राचार या प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. इस विज्ञापन के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/विवादित स्थिति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

(भर्ती प्रकोष्ठ)
आई.आई.टी. दिल्ली

संलग्नक-1

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन
(जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक द्वारा ____ पद के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। आवेदक के पास विज्ञापन संख्या _______________________ दिनांक ____________ में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव है। इस पद पर आवेदक द्वारा आवेदन करने पर इस संगठन को कोई आपत्ति नहीं है। चयनित होने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- **i.** **श्रीमान/सुश्री/डॉ.__________________________ (पदनाम) _______________________ दिनांक _____________ से आज तक स्थायी/नियमित आधार पर कार्यरत हैं। दिनांक ______________ से इनका वर्तमान वेतन लेवल _____________ है और वर्तमान में वे _________ रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं।**
- **ii.** **श्रीमान/सुश्री/डॉ... के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।**
- **iii.** **उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।**
- **iv.** **पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है**

  अथवा

  पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)
- **v.** **उनकी सी.आर. डोजियर की मूल प्रति संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की ए.सी.आर. की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।**
- **vi.** **समकक्षता प्रमाण पत्र (आईडीए/7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर के अन्य वेतनमान), यदि लागू हो तो।**

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मुहर सहित)

मूल विभाग द्वारा ध्यान दिए जाने योग्य बिंदु

1. यदि किसी अधिकारी पर मामूली दंड लगाया गया है, तो सामान्यतः दंड की अवधि के बाद 3 वर्ष की अवधि तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र न दिया जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/2007-स्था.(ए) के अनुसार, यदि उस पर बड़ा दंड लगाया गया है, तो सामान्यतः दंड की अवधि के बाद 5 वर्ष की अवधि तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र न दिया जाए।

2. जो शीघ्र ही अपनी 'कूलिंग-ऑफ' अवधि पूरी करने वाले हैं, ऐसे अधिकारियों के संबंध में आवेदन अग्रेषित करते समय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/2012-स्था.(वेतन II) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

3. जिन आवेदकों/सी.वी. के साथ अभ्यर्थियों द्वारा दावा की गई योग्यता और अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज नहीं हो, उन पर चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित करने हेतु कार्रवाई न की जाए।